सूचना का अधिकार

अपीलें - इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय ने सूचना का अधिकार अपीलों के लिए एक समर्पित ई-मेल पता बनाया है- rti.appeal@gov.in आपसे अनुरोध है कि अपनी सूचना का अधिकार अपीलें इस ई-मेल पते पर भेजें।

विलंब के निवारण हेतु - प्रधान मंत्री कार्यालय में विभिन्न विषयों पर जानकारी की मांग से संबंधित आवेदन-पत्र प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें से अधिकतर का संबंध मंत्रालयों और विभागों से होता है और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे आवेदन-पत्रों को संबंधित लोक प्राधिकारी को विधिवत अग्रेषित कर दिया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी किसी अन्य के पास है अथवा वह प्राथमिक तौर पर किसी अन्य लोक प्राधिकारी का कार्य है तो ऐसे आवेदन-पत्रों को उस अन्य लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अनुरोध है कि मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी के लिए आवेदन-पत्रों को संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को भेज दिया जाए ताकि इन अनुरोधों पर समय पर ध्यान दिया जा सके।

शुल्क - सूचना का अधिकार अधिनियम के नियम 6(1) में निहित सांविधिक उपबंधों के अनुसार सूचना अभिप्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा एक विहित फीस का भुगतान किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु किए जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ रु0 10/- की फीस देनी होगी जो निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से भेजी जा सकती है-

(i) प्रधान मंत्री कार्यालय के कैशियर के पास नकद जमा कराकर

(ii) " अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय" के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में

(i) " अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय" के पक्ष में देय पोस्टल ऑर्डर के रूप में

या

आवेदक के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होने का वैध प्रमाण-पत्र जिसके कारण उसे आवेदन फीस का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।